

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 अप्रैल 2020 — वैशाख 5, शक 1942

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 अप्रैल 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-44/2020/वा.क.(आब.)/पांच(58).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक II सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज), सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13), द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-5/2016/वा.कर(आब.)/पांच(47), दिनांक 31-03-2016 को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में नियम-8 के उपनियम (1) के खण्ड (ट-2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :-

“(ट-2)-वर्ष 2020-21 से छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सी.एस.एम.सी.एल.) द्वारा विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों हेतु एफ.एल.-10(क)/एफ.एल.-10(ख) अनुज्ञप्तिधारियों से क्रय की गई समस्त विदेशी मदिरा पर 01 अप्रैल, 2020 से सी.एस.एम.सी.एल. के प्रदाय दर (सी.वी.डी./आबकारी शुल्क सहित) पर 9.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ड्यूटी अधिरोपित की जावेगी।”

2/ उक्त अधिसूचना दिनांक 01-04-2020 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 25 अप्रैल 2020

क्र. एफ 10-44/2020/वा.क.(आब.)/पांच(58).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-44/2020/वा.क.(आब.)/पांच(58), दिनांक 25-04-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 25th April 2020

NOTIFICATION

No. F 10-44/2020/CT(EX)/V(58).— In exercise of the powers conferred under (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) along with sub-rule (13) of rule 18 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rule, 1996, the State Government hereby repeals the prior notification S.No. F 10-5/2016/C.T.(Ex.)/V(47), Dated 31-03-2016 and does following Further more amendment in Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, i.e.:-

AMENDMENT

In the above rules, (K-2) of Sub-Rule (1) of Rule-8 to be replaced as follows -

“(K-2) - From the year 2020-21, an additional duty shall be imposed on Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited (CSMCL), on all the purchase of Foreign Liquor from F.L.10(a)/F.L.10(b) Licencees, for the retail foreign liquor shops from 01 April 2020. The additional duty shall be at the rate of 9.5% (with CVD/Excise Duty) of the landing price of CSMCL.

2/ This notification shall be valid from 01-04-2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 25 अप्रैल 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-45/2020/वा.क.(आब.)/पांच(59).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1/ उक्त नियमों में :-

(1) छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम 1995 के नियम 3-ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम 3-ग जोड़ा जाये अर्थात् :-

“3-ग (देशी मदिरा थोक भण्डारण एवं वितरण का नियंत्रण अनुज्ञप्ति) :- छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर को उनके द्वारा संचालित भण्डारण भाण्डागारों हेतु, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर नियत किये जाने वाली वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान किये जाने पर राज्य के समस्त देशी भण्डारण भाण्डागारों में देशी मदिरा के भण्डारण एवं वितरण के नियंत्रण हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा प्रारूप सी.एस.1-ग में अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी।

प्रारूप सी.एस.1-ग के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचालित भण्डारण भाण्डागारों में प्रदाय हेतु अधिकृत प्रारूप सी.एस.1 के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देशी मदिरा का भण्डारण किया जावेगा। भण्डारित देशी मदिरा को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित देशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकानों के माध्यम से विक्रय किया जायेगा।

(2) प्रारूप सी.एस.1ख के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप सी.एस.1-ग जोड़ा जाये, अर्थात् :-

प्रारूप सी.एस.1-ग

देशी मदिरा थोक भण्डारण एवं वितरण का नियंत्रण अनुज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम-3-ग के अधीन तथा अनुज्ञप्ति फीस रुपये/- (अक्षरी रुपये मात्र) जिसका भुगतान अग्रिम में किया जा चुका है, के प्रतिफल स्वरूप यह अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड को देशी मदिरा के थोक भण्डारण एवं वितरण के नियंत्रण हेतु नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भण्डारण भाण्डागार.....जिला(छ.ग.) में स्थित अनुज्ञप्त परिसर से दिनांक से तक एतद्वारा निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए स्वीकृत की जाती है :-

शर्तें

- (1) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन, केवल देशी मदिरा का भण्डारण एवं वितरण कराएगा।
- (2) अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा का प्रदाय केवल छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित देशी मदिरा की फुटकर दुकानों को सीलबंद बोतलों में करायेगा।
- (3) अनुज्ञप्तिधारक, स्वीकृत सी.एस.1 अनुज्ञप्तिधारक द्वारा परिवहन कर लाई गई देशी मदिरा का भण्डारण एवं वितरण का नियंत्रण करेगा।
- (4) अनुज्ञप्तिधारी, केवल अनुज्ञप्त परिसर से ही कारोबार का संचालन करेगा। आबकारी आयुक्त की लिखित में पूर्व अनुमति के बिना, परिसर में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (5) अनुज्ञप्तिधारक देशी मदिरा की प्राप्ति, स्टॉक एवं विक्रय का बोतल आकारवार एवं नामपत्रवार (लेबल वाइज) सही लेखा दिन-प्रतिदिन अनुसार संधारित करेगा।
- (6) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों की शर्त क्रमांक 2, 10, 14, 16, 25, 26, 27 एवं 32 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध होगा।
- (7) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्त परिसर में सी.एस.1 अनुज्ञप्तिधारक को संचालन संबंधी आवश्यक निर्देश दे सकेगा।
- (8) इन अनुज्ञप्ति की किसी शर्त या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंध, आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये किसी आदेश पर, यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित की जा सकेगी।

दिनांक :

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची

विवरण	अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएँ			
	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2	3	4	5

2/ उक्त संशोधन दिनांक 01-04-2020 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.